

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 316 /2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

रूपा देवी पत्नी भारमल जाट निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीया

बनाम

- 1- सांवरा पिता उगमा जाट निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- मुकेश पिता उगमा जाट निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- जगदीश पिता छीतर जाट निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री रामप्रसाद जाट

अधिवक्ता प्रार्थीया

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 20.9.2022


प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीया के ग्राम अमरपुरा-मदनपुरा पटवार हल्का मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1875/700 रकबा 0.15 है0, 701 रकबा 0.65 है0, 702 रकबा 0.58 है0, 703/1680 रकबा 0.04 है0, 723/1724 रकबा 0.07 है0 कुल कित्ता 5 रकबा 1.49 हैक्टेयर प्रार्थीया काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।


प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम अमरपुरा-मदनपुरा पटवार हल्का मिण्डोलिया संवत् 2073 से 2076 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा अमरपुरा-मदनपुरा में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त की आराजीयात् में से आराजी नम्बर 723/1724 रकबा 0.07 है0 किस्म गेमु रास्ता होने से उक्त आराजीयात को छोड़कर शेष कित्ता 4 रकबा 1.42 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 600 रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिनिधि तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

  
(सुनिता यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा